

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक : १७/२५

दिनांक २५.९.२५

- :: निर्णय :: -

प्रार्थी श्री पन्नालाल पुत्र/पुत्री/पति शंकरलाल ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम उमरधना पटवार गण्डल शुंठला तहसील छबड़ा जिला बारां की चालू जमाबंदी सम्वत् २०७३-७६ के खाता संख्या ७२ में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जति पन्ना पुडा शंकर अंकित है जो सम्मानजनक नहीं है। जिसे सम्मानजनक रूप से पन्नालाल पुडा शंकरलाल अंकित किया जावे। प्रार्थी के आवेदन पत्र की जांच पटवारी शुंठला से करवाने पर पटवारी ने पन्ना पुडा शंकर के बजाय पन्नालाल पुडा शंकरलाल करना उचित बताया। तहसीलदार छबड़ा ने भी उक्त खाते में पन्ना पुडा शंकर के बजाय पन्नालाल पुडा शंकरलाल करना उचित बताया।

अतः पटवारी एवं तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर धारा 136 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 369 राजस्थान भूराजस्व (भू अभिलेख) नियम 1957 के अन्तर्गत ग्राम उमरधना के खाता संख्या ७२ में खातेदार/गैरखातेदार का नाम/जति पन्ना शंकर के स्थान पर सम्मानजनक रूप से पन्नालाल पुडा शंकरलाल दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार छबड़ा तदनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करें।


 उपखण्ड अधिकारी
 (Land Record Officer)
 छबड़ा जिला बारां
 उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारां)